85

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1679–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–06–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–454/अपील/2014–15

.....

हरिवंश प्रसाद तिवारी पुत्र स्व0 श्री रामसुन्दर तिवारी
निवासी–ग्राम वीरखाम तहसील, सिमरिया
जिला–रीवा, म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1– धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री पुरूषोत्तम सिंह
2– नपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र कुशल सिंह
निवासीगण– ग्राम वीरखाम तहसील, सिमरिया
जिला–रीवा, म0प्र0
3– मुसम्मात माला तिवारी पत्नी स्व0 श्री सुरेश प्रसाद तिवारी
4– पुष्कर प्रसाद तिवारी
5– सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी, पुत्रगण स्व0 श्री सुरेश प्रसाद तिवारी
निवासीगण– ग्राम वीरखाम तहसील, सिमरिया
जिला–रीवा, म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 व 2

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 5/5/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वीरखाम स्थित सर्वे नं0 1886/1ग, रकबा 0.020 है0, 1887/1ग, रकबा 0.202 है0, 1888/1ग, रकबा 0.121

है0 एवं सर्वे नं0 1889/1ग रकबा 0.244 है0 का नामांतरण पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर अनावेदकगण ने तहसीलदार सेमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 47/अ–6/2012–13 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 22.06.2013 को तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22.06.2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदक द्वारा अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 13/अ–6/अपील/2013–14 पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 28.02.2015 को अपील अपास्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2015 होने से पूर्व में राजीनामा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 11.02.15 को आधार बनाकर कार्यवाही की गई। जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति जताई गई तथा आदेश दिनांक 11.02.15 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील पेश की गई, जो प्र0क्र0 454/अपील/2014–15 पर दर्ज होकर दिनांक 22–06–2015 से आवेदक की आपत्ति को निरस्त करते हुये अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 22.06.15 परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष 62 दिन के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अधिनियम में अनुविभागीय अधिकारी के विवादित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा मात्र 45 दिन है। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना धारा 5 अवधि विधान मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत किये बगैर अपील स्वीकार कर ली है जो कि एक वैधानिक भूल है। प्रस्तुत प्रकरण में अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील धीरेन्द्र प्रताप सिंह व नृपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें नृपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कोई आवेदन–पत्र विवादित आदेश दिनांक 11.02.2015 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण आवेदन–पत्र के अभाव में अपीलांट की अपील संचालन योग्य नहीं है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता श्री एम0पी0 भटनागर उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण में

प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क पर विचार किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 में संशोधन उपरांत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा 45 दिन रखी गई है। इस निगरानी में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के समय—सीमा में मानने में त्रुटि की है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मय शपथ—पत्र के प्रस्तुत किया है अपर आयुक्त, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के विलम्ब को इसलिये माफ किया कि उसमें विधिक बिन्दु विद्यमान है जिन पर विचार कर गुण—दोष पर ही निर्णय लिया उचित होगा । इसी कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत म्याद अधिनियम के आवेदन को स्वीकार किया है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभी प्रकरण का गुण—दोष पर निराकरण होना शेष है।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0 क्र0 454/अपील/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,